


न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अ अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
12.2.19	<p>अपी. द्वारा अरिज (अरि). डा. पत्र प्रस्तुत किये जाते पर पत्रावली आज पेशी पर ली गई। प्रस्तुत आर्जन - पत्र अपी. द्वारा अपील आगे नहीं चलाए जाने के कारण अपी. द्वारा पर एवास्मिज किये जाते हेतु सिफेदन किया गया है। एहमति हेतु एवमं अपी. ने अपने हस्ताक्षर (आदेशिका) पर किये गिनी पहचान भी (आमान-६ -पौचरी १३. द्वारा की गई।</p> <p style="text-align: center;">हमने पत्रावली डा (अवलोकन किया।</p> <p>अंति अपी. एवमं. के सिद्ध कीर्त अर्थकारी नहीं चाहते हुए अपील की इसी स्तर पर एवास्मिज बरखाना चाहता है अतः अपी. द्वारा अपील आगे नहीं चलाए जाने के कारण इसी स्तर पर एवास्मिज की जाती है। आर्जन - पत्र शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पेशील बुझा होकर नबबर से उस की आवर बाद नबरील जाहला गारिबिल दडुलर की जाते।</p> <p style="text-align: center;">  भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर </p>

अमित यादव
Incl by
गोपनीय